International Journal of Research
Special Issue for UGC Approved Journal-Hindi Papers
Available at https://edupediapublications.org/journals
e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

भारतीय संविधान में निजता का अधिकार

शशिकान्त राव
एम.ए.राजीनति विज्ञान
इलाहाबाद विश्वविद्यालय इलाहाबाद

'निजता' मौलिक अधिकार है या नहीं। निजता का अर्थ व्यक्ति के एकाकीपन से नहीं, बल्कि नि1जी संवेदनाओं की संरक्षा से है। 'आधार' को अनिवार्य बनाने की प्रक्रिया में 'निजता के अधिकार' पर बहस आरम्भ हुई है।

सर्वोच्च न्यायालय ने जुलाई, 2017 आधार संख्या के सम्बन्ध में निजता के अधिकार के मुद्दे पर विचार करने हेतु प्रधान न्यायाधीश जगदीश सिंह खेहर की अध्यक्षता में नौ सदस्यीय संविधान पीठ गठित की। संविधान पीठ के अन्य सदस्यों में न्यायमूर्ति जे. चेलमेश्वर, एसए बोबड़े, धनंजय वाई, चन्द्रचूड़ और न्यायमेर्ति एस. अब्दुल नजीर शामिल हैं। संविधान पीठ यह निर्णय करेगी कि निजता के अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार को संविधान के तहत मौलिक अधिकार घोषित किया जा सकता है अथवा नहीं। उल्लेखनीय है कि आधार योजना की संवैधानिक वैधता को लेकर न्यायालय में याचिका दायर की गई है, तथा याचिकाओं में यह आरोप लगाया गया है कि आधार योजना 'निजता के मौलिक अधिकार' का अतिक्रमण करती है।

सर्वोच्च न्यायालय की नौ–सदस्यीय संविधान पीठ ने निजता के अधिकार से सम्बन्धित मामले की सुनवाई 19 जुलाई, 2017 से प्रारम्भ की, जिसमें याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता गोपाल सुब्रमण्यम, श्याम दीवान और सोली सोराबजी ने हिस्सा लिया। यह सुनवाई पांच दिनों तक चली जिसमें दोनों पक्षों ने अपनी–अपनी दलीलें रखीं।

क्या है निजता का अधिकार?

संविधान के भाग–3 में अनुच्छेद–12 से 35 तक मौलिक अधिकारों के बारे में उल्लेख किया गया है। इन्हीं में स्वतंत्रता के अधिकार के अन्तर्गत अनुच्छेद–21 में प्राण और देहिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसके तहत कुछ विशेष अधिकार हैं; जैसे–आजीविका का अधिकार, मानवीय प्रतिष्ठा के साथ जीने का अधिकार, जीवन रक्षा का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी आदि। यदि इन अधिकारों का कानून के द्वारा हनन होता है तो ऐसे में न्यायालय उसे गैर–कानूनी करार दे सकता है।

उदाहरण के रूप में इसे इस प्रकार स्पष्ट किया जा सकता है– इसमें यह तर्क दिया जा रहा है कि किसी व्यक्ति विशेष से लिया गया आंख की आइरिस एवं उसके अंगुली के निशान किसी व्यक्ति विशेष की सम्पत्ति हैं, जिस पर उसका पूर्ण अधिकार है, और उसकी जानकारी लेने के लिए उसे कोई बाध्य नहीं कर सकता चाहे वह सरकार ही क्यों न हो, क्योंकि व्यक्ति विशेष से ली गई जानकारी (डाटा) का सुरक्षा सम्बन्धी महत्वपूर्ण प्रावधान नहीं है, जो यह विश्वास दिला सके कि व्यक्ति का डाटा सुरक्षित है।

कैसे आया चर्चा में?

- आधार कार्ड योजना को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में निजता के अधिकार के हनन से सम्बन्धित कई याचिकाएं दायर की गई है। इस मुद्दे पर वर्ष 2009 में आधार परियोजना के प्रारम्भ होने के कुछ ही समय पश्चात वर्ष 2013 में कोर्ट में निजता के अधिकार पर बहस प्रारम्भ हो गई थी।
- याचिकाकर्ताओं का कहना है कि आधार योजना निजता के अधिकार का उल्लंघन (हनन) कर रही है।
- इन याचिकाकर्ताओं में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की पूर्व अध्यक्ष शान्ता सिंह, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश पुट्टास्वामी, सेवानिवृत्त मेजर जनरल एसजी वोम्बातकरे, मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित बेजवाड़ा विल्सन आदि अनेक प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल हैं।
- याचिकाकर्ताओं द्वारा आधार योजना के अन्तर्गत लिए जाने वाले बायोमीट्रिक (आंख की आइरिस, अंगुलियों के निशान)
- सरकार का कहना है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है। इन्हीं दलीलों के कारण सर्वोच्च न्यायालय की नौ सदस्यीय न्यायाधीशों की संविधान पीठ सर्वप्रथम इस बात पर सुनवाई कर रही है कि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है अथवा नहीं।

न्यायालय के समक्ष रखी गई दलीलें

- सुनवाई के दौरान गोपाल सुब्रमण्यम ने यह दलील पेश की कि यदि संविधान के अनुच्छेद–14, 19, और 21 को एक साथ देखा जाए तो मौलिक अधिकारों का दायरा व्याप्त हो जाता है, और ऐसे में यह कहना कि निजता कोई अधिकार नहीं है, अर्थपूर्ण नहीं लगता।
- श्याम दीवान ने दलील दी, कि मेरी आंख और फिंगरप्रिण्ट मेरी 'निजी सम्पत्ति है, मुझे इनकी जानकारी किसी को देने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता।
- सोली सोराबजी ने यह तर्क दिया कि निजता के अधिकार का उल्लेख संविधान में नहीं होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संविधान से लोगों को मिले अधिकारों को देखें तो न्यायालय आसानी से कह सकती है कि निजता एक मौलिक अधिकार है, जैसे प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से

उल्लेख नहीं है, किन्तु इसे अभिव्यक्ति की आज़ादी का हिस्सा माना जाता है।

- यह दलील भी दी गई कि एमपी शर्मा और खड़क सिंह मामले से जुड़े थे, जिनमें पुलिस को हासिल तलाशी और निगरानी के अधिकार पर बहस हुई थी, तथा उस आधार पर ही निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार नहीं माना गया।
- गोविन्द बनाम मध्य प्रदेश, राजगोपाल बनाम तमिलनाडु जैसे मामलों में सर्वोच्च न्यायालय की ही छोटी बेंचो ने निजता को मौलिक अधिकार माना है।
- वर्ष 1978 में मेनका गांधी बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया बाद में सर्वोच्च न्यायालय की बेंच ने सम्मान से जीने को संविधान के अनुच्छेद–21 यानी जीवन के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। इस आधार पर भी निजता का अधिकार अनुच्छेद–21 के अन्तर्गत माना जाना चाहिए।

सम्बन्धित समिति

निजता के अधिकार के सम्बन्ध में केन्द्र में डाटा संरक्षण बिल का मसौदा तैयार करने के सन्दर्भ में इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मन्त्रालय द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश बीएन श्रीकृष्ण की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूल को नियुक्त किया गया है।

कार्य / उद्देश्य

- यह समिति भारत में डाटा संरक्षण से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करेगी और केन्द्र सरकार के लिए विशिष्ट सुझाव देगी।
- यह डाटा संरक्षण के लिए विचार किये जाने वाले सिद्धान्तों को भी तैयार करेगी और एक मसौदा डाटा संरक्षण विधेयक का सुझाव देगी।
- समिति को अपनी रिपोर्ट देने हेतु कोई समय–सीमा नहीं दी गई है, किन्तु समिति को यह निर्देश दिया गया है कि वह यथासम्भव शीघ्रता से रिपोर्ट प्रस्तुत करने का प्रयास करे।

निजता का अधिकार बनाम मौलिक अधिकार

पक्ष में तर्क

- आधार अधिनियम में प्रत्येक नागरिक को आधार कार्ड बनवाना अनिवार्य नहीं था।
- आय कर के अतिरिक्त प्रत्येक सरकारी योजनाओं के लिए इसे अनिवार्य बनाया जा रहा है, अर्थात् सरकार नागरिक की हर गतिविधि पर नजर रखना चाहती है।
- बायोमैट्रिक आंकड़ों की सुरक्षा का प्रश्न।
- याचिकाकर्ता का मानना है कि 'राइट टू बी लेफ्ट अलोन' (अर्थात् एकान्त में रहना) निजता के

अधिकार का एक अनिवार्य हिस्सा है।

विपक्ष के तर्क

- सरकार का कहना है कि निजता एक प्राकृतिक अधिकार है और साथ ही एक सामाजिक अवधारणा भी है। इसका सम्मान किया जाना चाहिए, किन्तु इसे मौलिक अधिकार का दर्जा नहीं दिया जा सकता।
- सरकार का यह भी कहना है कि यदि निजता को मौलिक अधिकार मान लिया जाए तो व्यवस्था को चलाना कठिन होगा। लोग लोन लेते समय बैंक को प्रत्येक आवश्यक जानकारी देते हैं, किन्तु सरकार को जानकारी देने को कठिनाई भरा बताया जा रहा है।
- सरकार की ओर से यह भी कहा गया कि 97 प्रतिशत से अधिक लोग आधार बनवा चुके हैं तथा उन्हें सरकार को जानकारी देने में कोई कठिनाई नहीं थी। आधार से सरकारी योजनाओं में होने वाले भ्रष्टाचार पर अंकुश लगा है।
- सरकार की ओर से एटर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने यह दलील दी कि संविधान सभा में बहस के बावजूद निजता के अधिकार को संविधान में शामिल नहीं किया गया था।
- इसके आगे उन्होंने यह भी कहा कि कोई यह दलील नहीं दे सकता कि चूंकि निजता का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसलिए वह राज्य को अपनी बायोमैट्रिक पहचान, फोन, पता व अन्य जानकारियां नहीं देगा।

प्रमुख देशों में निजता का अधिकार

यूएसए दुनिया के सबसे पुराने लोकतंत्र अमेरिका में निजता के अधिकार को बहुत गम्भीरता से लिया जाता है। हालांकि ये अधिकार अमेरिका के संविधान में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन वहां के सर्वोच्च न्यायालय में कई संशोधनों के बाद ये तय किया गया कि अमेरिका में निजता के अधिकार का अस्तित्व है। अमेरिका में भी भारत के आधार कार्ड की तरह सामाजिक सुरक्षा, नम्बर होता है, किन्तु निजता के कानूनों की वजह से वहां की सरकार 'सामाजिक सुरक्षा नम्बर' को पहचान–पत्र के लिए अनिवार्य नहीं कर सकती।

जापान में निजता को कोई अधिकार नहीं है, यद्यपि जापान में नागरिकों की निजी जानकारियों की सुरक्षा के लिए ऐक्ट ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल इन्फॉर्मेशन नाम का एक कानून है। इस कानून के तहत जब भी किसी व्यक्ति की किसी भी जानकारी का इस्तेमाल किया जाता है तो व्यक्ति को इसके बारे में बताना आवश्यक होता है।

स्वीडन यह विश्व का ऐसा प्रथम देश है जिसने अपने नागरिकों को पर्सनल आइडेण्टिफिकेशन नम्बर दिया है और ऐसा माना जाता है कि स्वीडन में बच्चे को भी अपना इसी आईडी नम्बर कण्टस्थ रहता है, क्योंकि वहां के नागरिकों को इसी आईडी नम्बर के कारण स्वीडन सरकार की ओर से सभी तरह की सुविधाएं मिलती हैं।

जर्मनी में 'प्राइवेसी के लिए 'क्यू एण्ड ए गाइड', प्राइवेसी नियमों और सिद्धान्तों का एक उच्चस्तरीय अवलोकन देता है, जिसमें राष्ट्रीय कानून, निजी और पारिवारिक जीवन और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के समान अधिकार को विनियमित किया जाता है।

यूरोपीय संघ यूरोपीय संघ के कानून के तहत प्रत्येक व्यक्ति को अपने बारे में निजी डाटा के संरक्षण का अधिकार प्राप्त है, तथा इस तरह के डाटा विशिष्ट उद्देश्यों के लिए सम्बन्धित व्यक्ति की सहमति के आधार पर या कानून द्वारा निर्धारित कुछ अन्य वैध आधार पर संसाधित किया जाता है।

निष्कर्ष

उपरोक्त सन्दर्भों में अब तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं आया है कि निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार माना जाए या नहीं। वस्तुतः निजता के अधिकार को प्रत्येक मामले में अलग–अलग दृष्टिकोण से देखना होगा तथा प्रत्येक सरकारी कार्रवाई को निजता के आधार पर रोका नहीं जा सकता। अतः इसकी सीमाओं को तय किये जाने की आवश्यकता है।

सन्दर्भ

Allen, A. & Rotenberg, M. (2016). Privacy Law and Society. West Academic.

Denniston, Lyle (April 25, 2014). "Argument preview: Police and cellphone privacy". SCOTUSblog. Retrieved July 1, 2014.

Westin, A. (1968). *Privacy and Freedom* (Fifth ed.). New York.: Atheneum.

Etzioni, A. (2000). A communitarian perspective on privacy. Connecticut Law Review, 32(3), 897–905.

Regan, P. M. (1995). Legislating privacy: Technology, social values, and public policy. Chapel Hill, U.S.: The University of North Carolina Press

e-ISSN: 2348-6848
p-ISSN: 2348-795X
Volume 05 Issue 02
January 2018

Shade, L. R. (2008). Reconsidering the right to privacy in Canada. Bulletin of Science, Technology & Society, 28(1), 80–91.

Sprenger, Polly. "Sun on Privacy: 'Get Over It'". Wired. January 26, 1999. Retrieved on Feb 6, 2017.

Etzioni, A. (2007). "Are new technologies the enemy of privacy?" Knowledge, Technology & Policy, 20, 115–119.